न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

नी संख्या 07/12

तारीख रजू– 09/03/2012

प्रसाद पुत्र माधोलाल माली निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा।

-----निगरानीगुजार

बनाम

करलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा।
न पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।

-----विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक– 15/09/15

निगरानीगुजार ने यह निगरानी राजस्थान पंचायत अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम त चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 20/09/11 जिसमे ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा संख्या 1 के पक्ष मे 52 X 70 फुट भूमि का पूर्व सरपंच व कोरम ने जारी किया निर्णय व पटटा ये जाने का निर्णय लिया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई जो हुई। दिनांक 27/08/15 को विद्वान अभिभाषक निगरानीगुजार व विपक्षी संख्या 2 की बहस सुनी पक्षी संख्या 1 के अभिभाषक उपस्थित नही हुए।

विद्वान अभिभाषक निगरानीगुजार ने बहस मे तर्क दिया कि अदालत हाजा द्वारा उक्त प्रकरण निर्णय 25/11/05 से मोका रिपोर्ट मे खामी पाये जाने पर ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा त किया गया था कि विधि सम्मत एवं न्यायालय द्वारा दिये गये बिन्दुओ को दृष्टिगत रखकर पुनः पारित करे परन्तु ग्राम पंचायत ने अदालत हाजा के निर्देशो की पालना नही कर पूर्व निर्णय को ही रख दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक निगरानीगुजार ने बहस मे यह भी दिया कि ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 06/04/11 मे मोका रिपोर्ट का अभाव होना बताया है रिपोर्ट हेतु 6 व्यक्तियो का लगाया गया है व मोका रिपोर्ट हेतु 05/05/2011 नियत की गई है बिना मोका रिपोर्ट प्राप्त हुए ही उक्त निगरानीधीन निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्तनीय है। इस अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्देशो की पालना किये बिना व मोका रिपोर्ट के अभाव मे नीधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमावें।

विद्वान अभिभाषक विपक्षी संख्या 2 ने अभिभाषक निगरानीगुजार द्वारा की गई बहस का खण्डन करते र्क दिया कि अदालत हाजा के निर्देशो की पालना मे ग्राम पंचायत द्वारा 23/10/2010 को मोका तैयार करवायी गई है तथा मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचो की सहमति के आधार पर उक्त नीधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिका नही है। अतः नीगुजार की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय यथावत रखा जावें।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा निगरानीधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली का कन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत हाजा द्वारा निगरानी संख्या 140/05 निर्णय 25/11/05 से प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को तीन बिन्दुओ की पालना कर पुनः पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था जिसमे प्रथम पंचो द्वारा मोके पर जाकर मोका रिपोर्ट करवानी थी द्वितीय ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 21/12/02 के अनुसार मालिकाना सबूत करना था व तृतीय आदेशिका दिनांक 20/09/03 के अनुसार भाईयो की सहमति प्राप्त करना था व पश्चात पुनः निर्णय पारित करना था। पत्रावली मे इन तीनो बिन्दुओ का ही अभाव पाया जाता है अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 25/11/05 के पश्चात दिनांक 23/10/2010 को जो मोका

जिला कलेक्टर
वाई माधोपुर

कार

5/2

निगरानी संख्या 07/12 महावीर प्रसाद बनाम शंकरलाल

र्ट पत्रावली मे उपलब्ध है उसके अवलोकन से यह जाहिर हो रहा है कि पंचो द्वारा माधोलाल माली व वीर माली से मालिकाना सबूत मांगा है परन्तु उन्होने कोई मालिकाना सबूत पेश नही किया है व ग्राम यत की आदेशिका दिनोंक 06/04/11 के अनुसार मोका रिपोर्ट के अभाव मे मोका रिपोर्ट हेतु /05/11 नियत की गई है व 05/05/11 के पश्चात पत्रावली मे न तो कोई आदेशिका लिखी गई है न ही कोई मोका रिपोर्ट, उभय पक्षकारान का मालिकाना सबूत व भाईयो की सहमति अधीनस्थ लय की पत्रावली मे शामिल है व इसके अभाव मे अदालत मातहत द्वारा निगरानीधीन निर्णय पारित दिया गया है जो न्यायालय के निर्देशो की अनुपालना मे विधि अनुकुल पारित किया जाना प्रतीत नही है व निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीगुजार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत र्णय दिनांक 20/09/11 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 25/11/05 मे दिये गये बिन्दुओ की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर